[2019] 3 एस. सी. आर. 991

पेरी कंसागरा

वी.

स्मृति मदन कंसागरा

(2019 की सिविल अपील संख्या 1694)

15 फरवरी, 2019

[अभय मनोहर सेप्रे और

उदय उमेश ललित, जे. जे.]

बाल कल्याणः

अभिरक्षा और संरक्षकता का मामला-गोपनीयता

मध्यस्थता प्रक्रिया-मध्यस्थ और परामर्शदाता की भी रिपोर्ट

बच्चे के व्यवहार और दृष्टिकोण के संबंध में, यदि इसका उपयोग अदालत की कार्यवाही में किया जा सकता है, जब मध्यस्थता प्रक्रिया विफल हो गई है-आयोजितः गोपनीयता का पूर्ण पालन सामान्य मामलों में बिल्कुल सही है जहां अदालत की भूमिका विशुद्ध रूप से एक न्यायनिर्णायक की होती है-लेकिन इस तरह का दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से अनुकूल नहीं है जब अदालत को बुलाया जाता है और माता-पिता के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने की उम्मीद की जाती है और यह बच्चे के कल्याण से संबंधित है-सभी अभिरक्षा और संरक्षकता के मुद्दों को बच्चे के सर्वोत्तम हित के कसौटी या कसौटी पर हल किया जाता है-इस दौरान माता-पिता द्वारा दिए गए बयान। मध्यस्थता की प्रक्रिया पर गोपनीयता के आधार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन नाबालिग द्वारा काउंसलर को दी गई स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं और बयान, संबंधित पक्षों के घरेलू वातावरण को छूते हुए काउंसलर की रिपोर्ट, उनके व्यक्तित्व और उनके बच्चे या बच्चों के साथ उनके संबंध हिरासत या संरक्षकता के मुद्दों को निर्धारित करने में अदालत की सहायता करेंगे, किसी भी तकनीकीता को रास्ते में नहीं खड़ा होना चाहिए-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि मध्यस्थ और काउंसलर की रिपोर्ट गोपनीय कार्यवाही का हिस्सा थी और कोई भी पक्ष ऐसा नहीं कर सकता था।

किसी भी अदालती कार्यवाही में इसका उपयोग करने की अनुमति दी गई है या कोई निर्भरता रखी जा सकती है, जिसे दरकिनार कर दिया गया है-परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984-ss। 6 और 12-परिवार न्यायालय (प्रक्रिया) नियम, 1992-आर 8 (viii)।

समीक्षाः अधिकार क्षेत्र की समीक्षा-कब-कब आयोजित किया गयाः समीक्षा अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, त्रुटि स्वयं स्पष्ट होनी चाहिए-एक त्रुटि जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाने की आवश्यकता होती है, उसे शायद ही रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है-तथ्यों पर, अधिकार क्षेत्र का प्रयोग सही नहीं था-उच्च न्यायालय ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह पहले के निर्णय पर अपील में बैठा था-यहां तक कि यह मानते हुए भी कि

कि पहले के फैसले में तथ्यों और कानून की कोई सही सराहना नहीं थी, पक्षों को एक अपील में निर्णय को चुनौती देने के लिए छोड़ दिया जा सकता था-समीक्षा बिल्कुल भी उचित उपाय नहीं था-उच्च न्यायालय ने समीक्षा याचिका पर विचार करने और पहले के दृष्टिकोण को दरकिनार करने में गलती की।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. एक त्रुटि जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाने की आवश्यकता होती है, शायद ही एक स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है।

रिकॉर्ड के चेहरे पर। समीक्षा अधिकारिता के प्रयोग को उचित ठहराने के लिए, त्रुटि स्वयं स्पष्ट होनी चाहिए। इस मापदंड पर परीक्षण किया गया, अधिकार क्षेत्र का प्रयोग सही नहीं था। तत्काल मामले में की गई कवायद, जैसे कि उच्च न्यायालय दिनांकित 17.02.2017 के पहले के फैसले पर अपील में बैठा था। यह मानते हुए भी कि पहले के फैसले में तथ्यों और कानून की कोई सही सराहना नहीं थी, पक्षों को अपील में फैसले को चुनौती देने के लिए छोड़ा जा सकता है। लेकिन समीक्षा एक उचित उपाय बिल्कुल नहीं था। उच्च न्यायालय ने समीक्षा याचिका पर विचार करने में गलती की और पहले के दिनांकित 17.02.2017 के दृष्टिकोण को दरकिनार कर दिया। इस तरह से निष्कर्ष निकालने के बाद, परिस्थितियों में तार्किक मार्ग यह होगा कि अपील के तहत निर्णय और प्रतिवादी को दिनांकित 17.02.2017 के फैसले को चुनौती देने की अनुमति दें। लेकिन इस तरह के पाठ्यक्रम में आगे मुकदमेबाजी की आवश्यकता होगी। [पैरा 16] [1008-जी, एच; 1009-ए, बी]

बाद के चरण, आत्मविश्वास का तत्व जो आवश्यक है स्वस्थ मध्यस्थता/सुलह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।

गोपनीयता का तत्व और यह आश्वासन कि बयानों पर भरोसा नहीं किया जाएगा, पक्षों को छल को दफनाने और विवादों के समाधान की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। इस प्रकार गोपनीयता मध्यस्थता/सुलह का एक महत्वपूर्ण तत्व है।

[पैरा 24] [1018-जी, एच; 1019-ए-सी]

2.2 गोपनीयता का पूर्ण पालन सामान्य मामलों में बिल्कुल सही होगा जहां अदालत की भूमिका विशुद्ध रूप से एक न्यायनिर्णायक की होती है। लेकिन इस तरह का दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से अनुकूल नहीं हो सकता है जब अदालत को बुलाया जाता है और उससे आरोप मुक्त होने की उम्मीद की जाती है।

माता-पिता के संरक्षक के रूप में इसकी भूमिका और एक बच्चे के कल्याण से संबंधित है। सभी अभिरक्षा और संरक्षकता के मुद्दों को "बच्चे के सर्वोत्तम हित" के कसौटी या मापदंड पर हल किया जाता है। दो पक्षों के बीच हिरासत और संरक्षकता विवादों में, एक नाबालिग बच्चा एक अजीब स्थिति में है। कभी-कभी, दोनों पक्ष कानूनी लड़ाई लड़ने में व्यस्त होते हैं और अदालत को यह तय करने के लिए कहा जाता है कि बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या है। सही निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए, अदालत बच्चे का साक्षात्कार ले सकती है या किसी विशेषज्ञ के विश्लेषण पर निर्भर हो सकती है जो बच्चे के साथ कुछ और समय बिता सकता है और पालन-पोषण, व्यक्तित्व का आकलन कर सकता है।

बच्चे की इच्छा या मानसिक संरचना और अदालत को सहायता प्रदान करना। यह ठीक इसी कारण से है कि गोपनीयता जो अन्यथा मूल आधार है

मध्यस्थता/सुलह, कुछ हद तक, नियमों के नियम 8 के उप-नियम (viii) से अलग है। [पैरा 25] [1019-डी-एफ]

2.3 यदि काउंसलर की रिपोर्ट संबंधित पक्षों के घरेलू वातावरण को छूती है, तो उनके व्यक्तित्व और

काउंसलर के साथ अपनी बातचीत में अनायास, जो है बच्चे को सहज महसूस कराने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित। इस तरह की बातचीत का रिकॉर्ड [2019] 3 एस. सी. आर. में न्यायालय को मूल्यवान जानकारी दे सकता है।

माता-पिता के अधिकार क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन। यदि इस तरह की बातचीत के दौरान किसी बच्चे के कल्याण से संबंधित मुद्दों या पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि न्यायालय को ऐसे पहलुओं तक पहुंच से वंचित किया जाए। सर्वोपरि विचार यह देखना होना चाहिए कि बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या है।

[पैरा 27] [1021-ए-सी]

2.5 नियम 8 के उप नियम (viii) के संदर्भ में, काउंसलर अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू वातावरण से संबंधित रिपोर्ट देने के लिए बाध्य है।

किसी भी बच्चे या बच्चों के संरक्षकता के प्रश्न पर निर्णय लेने में न्यायाधीश की सहायता करने के लिए संबंधित पक्षों, उनके व्यक्तित्व और बच्चे और/या बच्चों के साथ उनके संबंध। इरादा स्पष्ट है कि गोपनीयता का सामान्य सिद्धांत अभिरक्षा या संरक्षकता के मुद्दों से संबंधित मामलों में लागू नहीं होगा और न्यायालय को, बच्चे के सर्वोत्तम हित में, पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए प्रासंगिक मुद्दों पर सभी सामग्री से लैस होना चाहिए। से यह प्रस्थान

सामान्य रूप से और विशेष रूप से धारा 12। एक बार जब उसमें बताई गई श्रेणियों के पक्ष में स्पष्ट अपवाद हो जाता है, तो मध्यस्थता/सुलह या अन्य तरीकों के किसी भी अन्य रूप में सिद्धांत। गोपनीयता के संबंध में वैकल्पिक विवाद समाधान आयात नहीं किया जा सकता है। इस तरह के अपवाद के प्रभाव को कम या शून्य नहीं किया जा सकता है। [पैरा 28] [1021-सी-एफ]

2.6 धारा 6 के तहत सलाहकारों की नियुक्ति द्वारा की जाती है -

उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार। द.

तत्काल मामले में काउंसलर वह नहीं था जिसे धारा 6 के संदर्भ में नियुक्त किया गया था, बल्कि उच्च न्यायालय की एक समिति द्वारा नियुक्त किया गया था और कई मामलों के संबंध में उसकी सहायता के लिए अनुरोध किया गया था। 06.05.2016 पर पारित आदेश ने संकेत दिया था कि मध्यस्थ "किसी भी अन्य व्यक्ति" में शामिल हो सकता है जो एक समग्र और प्रभावी मध्यस्थता के लिए आवश्यक समझा जा सकता है।

11.05.2016 के अगले आदेश में काउंसलर के नाम और इस तथ्य का उल्लेख किया गया था कि काउंसलर की पार्टियों के बेटे 'ए' के साथ एक उपयोगी बैठक हुई थी। इसके बाद काउंसलर ने उनके साथ 08.07.2016 और 11.07.2016 पर बातचीत की, जिसके आधार पर बातचीत में, 21.07.2016 पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। द.

इस प्रकार काउंसलर की नियुक्ति पक्षों की पूरी जानकारी के साथ-साथ उच्च न्यायालय की स्पष्ट स्वीकृति के साथ थी। काउंसलर को अधिनियम की धारा 6 के तहत नियुक्त नहीं किया गया था, लेकिन अगर सर्वोपरि विचार बच्चे का कल्याण है, तो पेरी कंसागरा बनाम।

स्मृति मदन कंसागरा

तकनीकीता पर अनुचित निर्भरता नहीं हो सकती है। वास्तव में, धारा 12 की चौड़ाई इस तरह के किसी प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करेगी। तत्काल मामले में काउंसलर द्वारा दी गई रिपोर्ट,

इसलिए, विचार से दूर रहें। काउंसलर के खिलाफ बिल्कुल कुछ भी नहीं था और अपील के तहत दिए गए फैसले में, उच्च न्यायालय ने कहा कि काउंसलर अच्छी तरह से अनुभवी थी और एक समझौता करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के लिए जानी जाती थी जो सभी के लिए संतोषजनक होगी। तत्काल मामले में रिपोर्ट को बाहर रखने का कोई कारण नहीं है।

विचार करें। उच्च न्यायालय द्वारा पारित बाद के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और उच्च न्यायालय द्वारा पहले दिए गए फैसले को पारित कर दिया जाता है। अदालत को बहाल किया जाता है। [पारस 29-31] [1021-G, H; 1022-A-E]

एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एक अन्य v. चेरियन

वार्की कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और

अन्य (2010) 8 एस. सी. सी. 24: [2010] 8 एससीआर 1053; मोती एलआरएस के माध्यम से राम (मृत)। और एक और वी। अशोक कुमार

गोविंद प्रसाद शर्मा और अन्य बनाम। दून घाटी ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड (2017) 11

स्केल 211; आशीष रंजन बनाम। अनुपमा टंडन और

एक और (2010) 14 एससीसी 274: [2010] 14 एससीआर 961;

इंदरचंद जैन (मृत) एलआरएस के माध्यम से। वी. मोतीलाल (मृत)

एलआरएस के माध्यम से। (2009) 14 एससीसी 663: [2009] 11 एससीआर 252

; अजीत कुमार रथ बनाम। उड़ीसा राज्य और अन्य (1999) 9 एससीसी 596: [1999] 4 पूरक। एस. सी. आर. 303; पार्सिओन देवी

और अन्य वी। सुमितरी देवी और अन्य (1997) 8 एस. सी. सी

715 : [1997] 4 पूरक। एस. सी. आर. 470; नियंत्रण मंडल

भारत में क्रिकेट के लिए और एक और वी। नेताजी क्रिकेट क्लब

और अन्य (2005) 4 एससीसी 741: [2005] 1 एससीआर 173 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2009] 11 एससीआर 252

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

[1999] 4 पूरक। एस. सी. आर. 303

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

[1997] 4 पूरक। एससीआर 470

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

[2005] 1 एससीआर 173

पै

रा 15

संदर्भित किया गया है

[2010] 8 एससीआर 1053

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

[2010] 14 एससीआर 809

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

2017 (11) स्केल 232

पै

रा 22

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

[2019] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1694

रेव. पेट में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 11.12.2017 के निर्णय और आदेश से। एम. ए. टी. ऐप (एफ. सी.) में 2017 का सं. 221 2016 का सं. 67। इंदरजीत सरूप, सुश्री अनुन्या मेहता, राघव सरूप, सुश्री अरुणिमा द्विवेदी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सौरभ कृपाल, प्रोसेनजीत बनर्जी, सुश्री मानसी शर्मा, सुश्री श्रेया सिंघल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था उदय उमेश ललित, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 11.12.2017 को चुनौती देती है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा MAT ऐप में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 17.02.2017 के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा 2017 की समीक्षा याचिका No.221 को मंजूरी दी गई है। (एफ. सी.) 2016 का No.67।

3. अपीलार्थी (केन्या और ब्रिटिश नागरिक) और प्रत्यर्थी (भारतीय नागरिक) ने नई दिल्ली में 29.07.2007 पर शादी कर ली। विवाह के बाद, प्रत्यर्थी नैरोबी, केन्या में स्थानांतरित हो गई और अपीलार्थी के साथ अपने वैवाहिक घर में बस गई। नई दिल्ली में 02.12.2019 पर आदित्य विक्रम कंसागरा नाम के एक बेटे का जन्म हुआ। प्रसव के बाद, उत्तरदाता आदित्य के साथ नैरोबी लौट आया। इसके बाद, प्रतिवादी और आदित्य ने कुछ मौकों पर केन्या से भारत की यात्रा की। आदित्य के पास केन्या और ब्रिटिश पासपोर्ट भी हैं।

4. अपीलार्थी, प्रतिवादी और आदित्य नैरोबी से नई दिल्ली 10.03.2012 पर आए थे। अपीलार्थी के अनुसार, नैरोबी की वापसी यात्रा के लिए वापसी टिकट 06.06.2012 के लिए बुक किए गए थे। भारत में रहते हुए, मई 2012 में, प्रत्यर्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2012 के सीएस (ओएस) No.1604 के रूप में पंजीकृत एक दीवानी मुकदमा दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अपीलार्थी को आदित्य को प्रत्यर्थी की हिरासत से हटाने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा का अनुरोध किया गया। नोटिस जारी होने पर, अपीलार्थी ने उस मुकदमे का विरोध किया जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा मुलाकात के आदेश पारित किए गए थे।

समय-समय पर न्यायालय। इसके बाद अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रार्थना करते हुए संरक्षकता याचिका दायर की कि उसे आदित्य का कानूनी संरक्षक घोषित किया जाए और उसकी स्थायी अभिरक्षा दी जाए। पारिवारिक न्यायालय, साकेत, नई दिल्ली के समक्ष 2012 की संख्या जी-53 के रूप में दिनांकित संरक्षकता याचिका दर्ज की गई थी।

पेरी कंसागरा बनाम। श्रीमती मदन कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे.]

5. उच्च न्यायालय द्वारा पारित मुलाकात आदेशों के संदर्भ में, अपीलार्थी को दादा-दादी के साथ हर महीने के दूसरे सप्ताह में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को 2 घंटे के लिए आदित्य से मिलने की अनुमति दी गई थी। अपीलार्थी के अनुसार उसने नैरोबी से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी

हर महीने दादा-दादी के साथ आदित्य से मिलने के लिए। संरक्षकता याचिका के लंबित होने को देखते हुए, 2012 के सी. एस. (ओ. एस.) No.1604 का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा 31.08.2015 पर किया गया था, जिससे पक्षों को परिवार न्यायालय के समक्ष अपनी शिकायतें रखने के लिए छोड़ दिया गया था। इसके बाद परिवार न्यायालय द्वारा मुलाकात की व्यवस्था में संशोधन किया गया।

इसके दिनांकित 09.02.2016 और 09.03.2016 आदेशों द्वारा।

6. 18.04.2016 पर, अपीलार्थी द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि परिवार न्यायालय अदालत के काउंसलर को आदित्य को घर लाने का निर्देश दे सकता है।

एक कक्ष में बैठक के लिए न्यायालय, जिस प्रार्थना पर आपत्ति जताई गई थी

उत्तरदाता। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, परिवार न्यायालय ने 04.05.2016 के आदेश के माध्यम से उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया, और निर्देश दिया कि आदित्य को अदालत 07.05.2016 के समक्ष पेश किया जाए। आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार थाः

" ..... इस तरह की कार्यवाही में अदालत माता-पिता की संरक्षक होती है। बच्चे के साथ याचिकाकर्ता की मुलाकात वैसे भी 07.05.2016 के लिए निर्धारित है। बच्चे को अपने पिता और दादा-दादी से मिलने जाने से पहले 07.05.2016 पर सुबह 10 बजे अदालत में पेश किया जाए।

7. प्रतिवादी ने व्यथित होकर मैट ऐप दायर किया। (एफ. सी.) उच्च न्यायालय के समक्ष 2016 का <आई. डी. 1. 06.05.2016 पर, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा और यह भी निर्देश दिया कि आदित्य को 11.05.2016 पर अदालत के समक्ष पेश किया जाए। उक्त आदेश के अनुच्छेद 7 और 9 इस प्रकार थेः

" 7. पक्षों के साथ हमारी बातचीत के दौरान, पक्षों द्वारा बातचीत के लिए एक और प्रयास करने की इच्छा व्यक्त की जाती है।

मध्यस्थता के माध्यम से पक्षों के बीच सभी विवादों का निपटान। प्रतिवादी के माता-पिता भी मौजूद हैं और हमारे सामने कार्यवाही में शामिल हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वे बातचीत से समझौता करने का प्रयास करना चाहेंगे।

पक्षों के बीच सभी विवादों के लिए।

9. पक्षों की सहमति से, इसे निम्नानुसार निर्देशित किया जाता हैः

(i) पक्षकार समधान-दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता और सुलह केंद्र में विद्वान मध्यस्थ सुश्री साधना रामचंद्रन के समक्ष 9 मई, 2016 को 2 बजे पेश होंगेः 30 पीएम।

((ii) विद्वान मध्यस्थ के लिए किसी अन्य व्यक्ति या पक्षकारों के रिश्तेदार के साथ शामिल होने का अधिकार होगा, जो आवश्यक समझा जाए।

एक समग्र और प्रभावी मध्यस्थता के लिए।

पक्षों की सहमति से "। 8. इसके बाद मामला 11.05.2016 पर आया। उच्च न्यायालय ने

आदित्य के साथ अनुबंधित और निम्नलिखित अवलोकन पैरा 2 में किए गए थे

इसके आदेश के बारे में:

" 2. हमें यह भी सूचित किया गया है कि बच्चा आज सुश्री साधना रामचंद्रन, विद्वान मध्यस्थ के साथ-साथ समाधान-दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता और सुलह केंद्र में काउंसलर सुश्री स्वाति शाह से मिला है और मध्यस्थता के प्रयास अभी भी जारी हैं।

3. पार्टियों के बेटे-मास्टर आदित्य विक्रम कंसागरा को आज हमारे सामने पेश किया गया है। हम भी लंबे समय से उनके साथ बातचीत करते हुए और इस साढ़े छह साल के बुद्धिमान बच्चे की परिपक्वता से गहराई से प्रभावित होते हैं जो आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ खुद को व्यक्त करने की उल्लेखनीय क्षमता प्रदर्शित करता है। वह.

यह भ्रम या घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाता है।

4. हम यह भी ध्यान देते हैं कि बच्चा अदालत में अपने पिता और दादा-दादी के साथ बातचीत करने में सहज था। बच्चे ने अपने पिता और दादा-दादी से मिलने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने बिना शर्त कहा कि वह इसके लिए उत्सुक हैं। मास्टर आदित्य विक्रम कंसाग्रा केन्या में अन्य रिश्तेदारों की पहचान करने में भी सक्षम हैं और उत्साहपूर्वक उस देश में अपने अनुभवों का उल्लेख करते हैं।

यह स्पष्ट है कि बच्चे का उनके साथ अच्छा संबंध रहा है।

5. हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा एक ही समय में अपनी माँ और नानी के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। उसके व्यवहार और व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप से अपीलार्थी द्वारा उसे दी जा रही उत्तम परवरिश की छाप है।

और उसकी माँ।

पेरी कंसागरा बनाम। श्रीमती मदन कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे.]

6. अब तक, 9 फरवरी, 2016 से, बच्चा अपनी माँ से मिल रहा है।

10 के बीच पिता और दादा-दादीः 30 सुबह और 05: 00 पी एम ऑन

हर महीने के दूसरे सप्ताह में शनिवार और रविवार और

हर महीने के दूसरे सप्ताह में शुक्रवार को दो घंटे। द.

जिन्हें पूरे दौरे के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। 9. आगामी मध्यस्थता सत्रों के दौरान, मध्यस्थ और

काउंसलर ने आदित्य के साथ बातचीत की। काउंसलर ने आदित्य के साथ 08.07.2016 और 11.07.2016 पर बातचीत की। उनके साथ उनकी बातचीत के आधार पर, काउंसलर ने एक सीलबंद लिफाफे में 21.07.2016 दिनांकित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालाँकि, कई मौकों पर मध्यस्थता का प्रयास किया गया था, पक्ष अपने विवादों और मतभेदों को हल करने में असमर्थ थे और मध्यस्थ द्वारा 22.07.2016 पर एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। 11.08.2016 पर, काउंसलर की रिपोर्ट वाला सीलबंद लिफाफा खोला गया और रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया गया। काउंसलर की रिपोर्ट की प्रतियां पक्षों को दी गईं। अगले दिन दायर एक आवेदन में, यानी 12.08.2016 पर, अपीलार्थी ने काउंसलर की दिनांकित 21.07.2016 की रिपोर्ट पर भरोसा किया।

और आदित्य से टेलीफोन पर बात करने की अनुमति के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना का विरोध करते हुए, प्रतिवादी ने इस तरह की निर्भरता पर आपत्ति जताई

गोपनीयता का आधार। इसके बाद मध्यस्थ ने नवंबर, 2016 में विफलता की रिपोर्ट करते हुए अंतिम रिपोर्ट दाखिल की।

10. इसके बाद मामला अंतिम दलीलों के लिए सामने आया।

उच्च न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ। प्रत्यर्थी ने मध्यस्थ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की स्वीकार्यता का मुद्दा उठाया और

काउंसलर ने तर्क दिया कि गोपनीयता के सिद्धांत को देखते हुए रिपोर्टों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने उक्त दलीलों पर विचार किया।

और अपील का निपटारा करते समय, अपने दिनांकित 17.02.2017 के निर्णय द्वारा निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

" 10. मध्यस्थता विफल हो गई है।

11. लेकिन हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए कहा जाता है

कारण के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया की गोपनीयता के बारे में

11 अक्टूबर, 2016 को मध्यस्थ से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसे रिकॉर्ड में लिया गया और दोनों पक्षों को इसकी प्रति दी गई। द.

मध्यस्थ की रिपोर्ट एक बाल परामर्शदाता के शामिल होने को संदर्भित करती है

जिन्होंने एक स्वतंत्र रिपोर्ट भी दी थी जो भी ली गई थी रिकॉर्ड में।

.....

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 13. चाइल्ड काउंसलर की रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चा सामान्य था और अपनी माँ से खुश होने के बावजूद वह अपने पिता को आदर्श मानता है और केन्या में अपने घर को प्यार से याद करता है; उसे काउंसलर के साथ किस घर के बारे में बात करना पसंद था। पिता के साथ बच्चे का स्नेह और बंधन था अपीलार्थी के सकारात्मक रवैये के रूप में सराहना की गई, जो स्पष्ट रूप से बच्चे को प्रताड़ित नहीं कर रहा था। बच्चे ने अपीलार्थी के लिए अपना प्यार, स्नेह और सांत्वना दिखाई, जिसका प्रमाण वह अपनी माँ के साथ कश्मीर में हाल ही में छुट्टी मनाने के बारे में प्यार से और खुशी से बात कर रहा था। द.

बच्चा केन्या की यात्रा करने के विचार से असहज नहीं था।

. ...

18. लेकिन जहाँ मध्यस्थता का दायरा बच्चे के पालन-पोषण के मुद्दे का समाधान है, वहाँ बच्चे के व्यवहार और दृष्टिकोण के बारे में मध्यस्थ या बाल परामर्शदाता द्वारा रिपोर्ट नहीं दी जाएगी। गोपनीयता की सीमा के भीतर इस कारण से दंपति द्वारा साझा की गई कोई जानकारी रिकॉर्ड पर नहीं लाई जा रही है। खंड का अधिदेश

12 परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

19. तत्काल मामले में, मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान जो रिकॉर्ड पर लिया गया है वह बाल परामर्शदाता और मध्यस्थ की रिपोर्ट है, जो हम पाते हैं कि अच्छी पेरी कंसागरा बनाम की प्रशंसा करने वाली रिपोर्ट हैं।

श्रीमती मदन कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे.]

माता-पिता दोनों का रवैया, जो कई अन्य जोड़ों के विपरीत, दूसरे से बदला लेने के लिए बच्चे का उपयोग एक उपकरण के रूप में नहीं कर रहे हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बच्चे के साथ पिछली खंड पीठ की बातचीत 11 मई, 2016 के आदेश में दर्ज की गई है, अर्थात बच्चा माता-पिता दोनों के साथ समान रूप से सहज है और न केवल अपनी माँ और मातृ पक्ष के रिश्तेदारों के साथ, बल्कि पिता और पैतृक पक्ष के रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा समय बिताने की इच्छा रखता है। इस तरह की रिपोर्ट अदालत के लिए विशेषज्ञ राय का एक तटस्थ मूल्यांकन है जो अदालत का मार्गदर्शन करने के लिए है कि बच्चे के सर्वोत्तम हित में किन आदेशों को पारित करने की आवश्यकता है। ये रिपोर्ट नहीं हैं

पक्षों के गोपनीय संचार।

20. संयोग से उत्पन्न हुए मुद्दे का जवाब देने के बाद, और यह देखते हुए कि अन्यथा अपील को निष्फल बना दिया गया है, हम अपील में आगे की कार्यवाही को समाप्त कर देते हैं क्योंकि कोई आदेश नहीं है।

अब अपील में पारित किए जाने की आवश्यकता है।

21. विद्वान न्यायाधीश परिवार न्यायालय प्रत्यर्थी के भारत में होने पर रात भर की अंतरिम अभिरक्षा देने पर विचार करेगा और ऐसे नियम और शर्तें लगाएगा जो यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे को भारत के क्षेत्र से नहीं हटाया गया है। अपीलार्थी द्वारा यह दावा करने से संबंधित मुद्दा कि उसने बच्चे का केन्याई पासपोर्ट खो दिया है और बच्चे के नाम पर एक नया पासपोर्ट जारी किया जा रहा है, विद्वान न्यायाधीश, परिवार द्वारा भी देखा जाएगा।

अदालत "।

11. 18.03.2017 पर, प्रत्यर्थी ने 2017 की समीक्षा याचिका No.221 दायर की, जिसमें 17.02.2017 के फैसले पर सवाल उठाया गया। समीक्षा याचिका

उच्च न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ द्वारा दिनांक 11.12.2017 के निर्णय और आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। यह प्रश्न पूछने के बाद, "क्या मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान पेश की गई काउंसलर की रिपोर्ट या मध्यस्थता के मामले में मध्यस्थ की रिपोर्ट, जब प्रक्रिया विफल हो जाती है, तो मुकदमे के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा उपयोग की जा सकती है", उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मध्यस्थ और काउंसलर की रिपोर्ट की "... पारिवारिक अदालत द्वारा अवहेलना की जाएगी, जब वह मामले के गुण-दोष पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगी"। अपनी चर्चा के दौरान, उच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता और सुलह नियम, 2004; समाधान (दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता और सुलह केंद्र) के आवेदन का प्रारूप; UNCITRAL के सुलह नियम; मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 75 और 81; मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा जारी मध्यस्थता प्रशिक्षण नियमावली का उल्लेख किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गोपनीयता को अनिवार्य करने वाले चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर के नियम

मध्यस्थता से संबंधित और निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

" 21. इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि मध्यस्थता की कार्यवाही गोपनीय है और मध्यस्थ के सामने जो कुछ भी खुलासा, चर्चा या प्रस्तावित किया गया है, उसे दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

खुलासा किया और कि अगर यह किया जाता है तो हमेशा एक होगा

आशंका है कि चर्चा का उपयोग पक्षों के खिलाफ किया जा सकता है और यह पूरी प्रक्रिया में बाधा डालेगा। पारस्परिक विश्वास का वातावरण पूर्ण गोपनीयता की गारंटी देता है और वास्तव में मुख्य निर्णय में इसका उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता इससे व्यथित है कि बाद का भाग जो नोट करता है "लेकिन जहां मध्यस्थता का दायरा बाल पालन-पोषण के मुद्दे का समाधान है, संबंधित रिपोर्ट

बच्चे का व्यवहार और रवैया इसके दायरे में नहीं आएगा गोपनीयता का प्रतिबंध "। हमारे विचार से, यह मध्यस्थता के सिद्धांत के खिलाफ है और एक फिसलन भरी ढलान के मार्ग को दर्शाता है, क्योंकि

निर्णय पर आगे चर्चा होगी।

22. हमारे कानूनों में या गोपनीयता के पूर्ण नियम के लिए ऊपर उल्लिखित विभिन्न क्षेत्राधिकारों में मध्यस्थता नियमों में कोई अपवाद नहीं हैं। इस न्यायालय ने कहा कि परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 12 के अधिदेश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है; फिर भी मुद्दा यह है कि क्या 6 मई, 2016 का आदेश पारित किया गया था।

वैधानिक रूप से इसके साथ। परामर्शदाता को शामिल करने या न करने का विवेकाधिकार न्यायालय का है और यह प्रत्यायोजित नहीं है। उत्तरदाता पति का यह तर्क कि निर्देश आदेश मध्यस्थ को "दूसरों" को शामिल करने की अनुमति देता है, विवेकाधिकार के प्रयोग को अधिकृत करने के लिए नहीं हो सकता है जो पूरी तरह से न्यायालय में निहित है। दूसरा, गोपनीयता के मुद्दे की जांच की जानी चाहिए क्योंकि मध्यस्थ ने दो रिपोर्ट प्रस्तुत की-इस मामले में अदालत को। एक मध्यस्थ की स्थिति पेरी कंसागरा बनाम है।

श्रीमती मदन कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे.]

अद्वितीय; निस्संदेह उसके पास उन मुद्दों को संभालने के लिए पेशेवर प्रशिक्षण और क्षमता है जिनमें वैवाहिक मुद्दों, संपत्तियों, साझा घरेलू, अभिरक्षा, (अस्थायी या स्थायी) और वाणिज्यिक मामलों में गहन और कड़वा संघर्ष शामिल है, ऐसे मुद्दे जिनके मौद्रिक और वित्तीय प्रभाव हैं। सभी मामलों में, पक्ष व्यक्त करते हैं

उनके डर, उनकी अपेक्षाएँ और उनकी प्रिय स्थिति इस विश्वास के बल पर है कि वे मध्यस्थता और मध्यस्थता प्रक्रिया में विश्वास करते हैं-जो दोनों गोपनीयता के पूर्ण आवरण से प्रबलित होते हैं। इन अनिवार्यताओं को देखते हुए, मध्यस्थ की रिपोर्ट, जहां प्रक्रिया विफल हो गई है, में कुछ भी दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। इस स्थिति को देखते हुए

तथ्य यह है कि किसी मामले में एक मध्यस्थ, प्रस्ताव करता है-सभी सर्वोत्तम और प्रामाणिक कारणों से, एक परामर्शदाता की भागीदारी, किसी भी तरह से अदालत की एकमात्र शक्ति को कम नहीं करती है या छीन नहीं लेती है। पक्षकारों के सहमत होने की स्थिति में, इस तरह के पाठ्यक्रम के लिए, उन्हें न्यायालय से संपर्क करने के लिए कहा जाना चाहिए, क्योंकि

उचित आदेशः अदालत तब उन्हें संदर्भित करेगी

सलाहकार। न्यायालय में किस प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है और क्या यह अभिलेख का हिस्सा होगा, इस सवाल का पता कार्यवाही के दौरान चलेगा। वर्तमान मामले में,

पार्टियों ने केवल सहमति दी। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि पक्षों को पता था कि मध्यस्थ की रिपोर्ट, न केवल क्या हुआ, बल्कि उसके प्रतिबिंबों के संबंध में, अदालत को दी जाएगी; और न ही यह दिखाने के लिए कुछ भी था कि उन्हें पता था-जब उन्होंने एक काउंसलर की भागीदारी के लिए सहमति व्यक्त की कि उसकी रिपोर्ट अदालत को दी जाएगी। तीसरी असामान्य विशेषता यह है कि सलाहकार के साथ कम से कम दो बैठकों में मध्यस्थ मौजूद था। यह "संयुक्त" कार्यवाही है,

न्यायालय की राय में, अस्वीकार्य। इसके अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं, खासकर अगर मध्यस्थ और परामर्शदाता आगे बढ़ते हैं।

अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना (जैसा कि उन्होंने इस मामले में किया था)। वर्तमान मामले में दोनों रिपोर्टों को पढ़ना, पाठक के लिए एक निश्चित तस्वीर पेश करता है जो कार्रवाई या निष्कर्ष के एक प्रशंसनीय पाठ्यक्रम का दृढ़ता से सुझाव देता है। यह सुझाव की शक्ति है, जिनसे पक्षों को सुरक्षा की गारंटी दी जाती है, जब वे मध्यस्थता के लिए सहमत होते हैं। सोचिए कि क्या मतभेद होने की संभावना है। यह कहाँ ले जाएगा? विवाद को बढ़ाने के अलावा, न्यायालय भी भ्रमित हो जाएगा।

....

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17 , 2017 प्रभावी रूप से मध्यस्थों को 1984 के अधिनियम की धारा 12 के तहत न्यायालय की अनन्य शक्तियों का वास्तविक रूप से या चूक में प्रयोग करने की अनुमति होगी, जो प्रत्यायोजित नहीं हैं। न्यायालय के बाद के आदेश द्वारा इस तरह की कार्रवाई के सत्यापन का कोई सवाल ही नहीं है। इसका खतरा यह होगा कि न्यायालय इस तरह की अनियमितताओं का अच्छी तरह से सामना कर सकते हैं। निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उत्पादित सामग्री। की आवश्यकता

धारा 12 को कानून के अधिदेश के रूप में भी समझना होगा कि

परामर्श देना। प्रस्ताव कि कुछ ऐसा जो कानून अनिवार्य करता है एक तरीके से किया जाना है और किसी अन्य तरीके से नहीं "जहाँ ए

शक्ति एक निश्चित तरीके से एक निश्चित काम करने के लिए दी जाती है,

बात उस तरह से की जानी चाहिए या बिल्कुल नहीं "1 पूरे बल के साथ लागू होता है। इस मामले में 06 मई, 2016 के आदेश में केवल पक्षों को मध्यस्थ के पास भेजा गया और मध्यस्थता का मार्ग और दायरा तैयार किया गया। न्यायालय द्वारा परामर्शदाता की रिपोर्ट कभी नहीं मांगी गई थी, और फिर भी अधिनियम की धारा 12 के तहत इसे एक माना गया था।

1984 से। क्या न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालयों की धारा 12 को लागू किया था

अधिनियम, 1984 में स्पष्ट रूप से लिखा और दर्ज किया गया होगा कि

ऐसा करना; और उस अर्थ में एक स्पष्ट होना चाहिए था

धारा 12 का आह्वान। इस तरह के संदर्भ का अभाव

अनिवार्य रूप से इसका मतलब था कि "दूसरों" के संदर्भ का मतलब केवल वे लोग थे जो विवाद से जुड़े थे, जैसे कि दोनों में से किसी एक के परिवार के सदस्य।

पति या पत्नी, जिनकी भागीदारी सुविधा के लिए थी

एक मध्यस्थता रिपोर्ट के साथ संलग्न। 30. यदि इस मामले में ऐसी स्थिति की अनुमति है, तो मध्यस्थता हो सकती है

तब विशेषज्ञ राय एकत्र करने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग किया जाएगा जो

इसके बाद मामले की मुख्य फाइल दर्ज की जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता और सुलह नियम, 2004 के नियम 20 और नियम 21 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 का अधिदेश

गोपनीयता और सूचना के गैर-प्रकटीकरण के लिए प्रावधान करता है मध्यस्थ के साथ और मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान साझा किया गया।

वर्तमान मामले में, काउंसलर द्वारा मांगी गई मदद पक्षों के बीच समग्र समझौता करने के लिए मध्यस्थ नहीं था

पारिवारिक न्यायालयों की धारा 12 द्वारा परिकल्पित तरीके से आदेश दिया गया

अहमद बनाम राजा सम्राट ए. आई. आर. 1936 पी. सी. 243 के बाद उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। सिंघारा एयर 1964 एससी 358 पेरी कंसागरा बनाम।

श्रीमती मदन कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे.]

अधिनियम, 1984। नतीजतन, न तो मध्यस्थ की रिपोर्ट और न ही परामर्शदाता की रिपोर्ट को प्रदर्शित करने की अनुमति दी जा सकती थी। वे मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के जनादेश के विपरीत हैं।

- वे पार्टी की स्वायत्तता और पसंद को कमजोर करते हैं; इसके अलावा, वे स्पष्ट रूप से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 75 का उल्लंघन करते हैं। 17 फरवरी, 2017 के फैसले में टिप्पणियों में इस हद तक उल्लेख किया गया है कि "विशेष रूप से बच्चे के व्यवहार और दृष्टिकोण से संबंधित मध्यस्थ और परामर्शदाता की रिपोर्ट,

जब मध्यस्थता प्रक्रिया विफल हो जाती है तो यह गोपनीयता के दायरे में नहीं आएगी और इसलिए इसका उपयोग किसी भी मामले में नहीं किया जा सकता है।

आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की रिपोर्ट एक तटस्थ मूल्यांकन है

किस आदेश के बारे में न्यायालय का मार्गदर्शन करने के लिए न्यायालय को विशेषज्ञ की राय

बच्चे के सर्वोत्तम हित में इसे पारित करने की आवश्यकता है। ये रिपोर्ट पार्टियों के गोपनीय संचार नहीं हैं। बाल अभिरक्षा मामलों और विवादों में, जिनके लिए परिवार न्यायालय 1984 अधिनियम की धारा 12 के तहत परामर्शदाता की सहायता ले सकता है, मध्यस्थता गोपनीयता के लिए एक सामान्य अपवाद को याद किया जाता है। हम जल्दबाजी में यह जोड़ते हैं कि यह निर्णय उस मध्यस्थ पर प्रतिबिंब नहीं है जिसका अप्रभावित ट्रैक रिकॉर्ड सभी को पता है, या परामर्शदाता का प्रयास, जो भी अपने क्षेत्र में बहुत अनुभवी है। सभी के लिए संतोषजनक समझौता सुनिश्चित करने की उनकी प्रतिबद्धता और ईमानदारी और सामान्य रूप से मध्यस्थता प्रक्रिया पर संदेह नहीं है; इस फैसले से किसी भी तरह से कमी नहीं आनी चाहिए।

वह उत्साह और दृढ़ संकल्प जो उन्होंने प्रदर्शित किया है।

12. समीक्षा की अनुमति देने में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण वर्तमान में चुनौती के अधीन है। श्री अनुन्या मेहता, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया-(क) उच्च न्यायालय समीक्षा अधिकारिता के दायरे को ऐसे पार कर गया जैसे कि वह पहले के फैसले पर अपील में बैठा हो; कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाने की आवश्यकता है, उसे रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि नहीं कहा जा सकता है; (ख) काउंसलर की रिपोर्ट गोपनीयता से प्रभावित नहीं थी क्योंकि यह केवल बच्चे के साथ काउंसलर की बातचीत को दर्ज करती थी और एल. आई. एस. में पक्षों द्वारा कोई जानकारी या प्रस्तुति दर्ज नहीं करती थी; कि बाल अभिरक्षा मामलों में गोपनीयता के नियम के लिए एक मान्यता प्राप्त अपवाद है क्योंकि अदालत ऐसे मामलों में माता-पिता के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती है।

श्री सौरभ कृपाल, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता

जवाब दिया-(i) मध्यस्थता रिपोर्ट गोपनीय कार्यवाही का हिस्सा हैं और अदालती कार्यवाही में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसके लिए निर्भरता [2019] 3 एस. सी. आर.

विभिन्न वैधानिक प्रावधानों पर रखा गया था; (ii) सलाहकार को परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 6 के तहत नियुक्त नहीं किया गया था; (iii) परिवार न्यायालय नियमों के नियम 8 (viii) से (xiv) के तहत अपवाद को मध्यस्थता नियमों के नियम 20 और 23 के अपवाद के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है; (iv) मध्यस्थता रिपोर्ट। काउंसलर द्वारा दिया गया मध्यस्थता नियम 8 में दिए गए अपवादों के दायरे में नहीं आता था; (v) गोपनीयता की कोई छूट नहीं थी और प्रतिवादी ने पहली बार में रिपोर्ट के उपयोग पर आपत्ति जताई थी; (vi) पहले का आदेश कानून की गलत धारणा पर आधारित होने के कारण, उच्च न्यायालय समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में सही था।

13. जिन मुद्दों पर हम विचार कर सकते हैं, उन्हें व्यापक रूप से रखा जा सकता है।

दो सिरों के नीचेः

क) क्या उच्च न्यायालय समीक्षा करने में न्यायोचित था

अधिकारिता और पूर्व निर्णय को दरकिनार करना और

ख) क्या उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि इस मामले में मध्यस्थ और परामर्शदाता की रिपोर्ट का हिस्सा था
गोपनीय कार्यवाही और किसी भी पक्ष को किसी भी अदालती कार्यवाही में इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है या इस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है

इस तरह की रिपोर्ट।

14. जहां तक पहले मुद्दे का संबंध है, एल. आर. एस. के माध्यम से इंदरचंद जैन (मृत) मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करना। बनाम मोतीलाल (मृत)

Lrs.[2], अजीत कुमार रथ बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य 3 और पारसन देवी और अन्य बनाम सुमितरी देवी और अन्य 4, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था। इंदरचंद जैन 2 में यह पैरा 10,11 और 33 में इस प्रकार देखा गया है

इसके अंतर्गतः

" 10. यह किसी भी संदेह या विवाद से परे है कि समीक्षा अदालत अपने आदेश पर अपील में नहीं बैठती है। कानून में मामले की फिर से सुनवाई की अनुमति नहीं है। यह सामान्य नियम के लिए एक अपवाद है कि एक बार निर्णय पर हस्ताक्षर या घोषणा होने के बाद, इसे बदला नहीं जाना चाहिए। यह भी सामान्य है कि अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं है
किसी भी आदेश की समीक्षा के लिए अनुरोध किया जाता है।

11. समीक्षा छद्म रूप में अपील नहीं है। लिली थॉमस बनाम। संघ का

भारत के इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः (एस. सी. सी पी. 251, पैरा 56)

2 (2009) 14 एस. सी. सी. 663 3 (1999) 9 एस. सी. सी. 596

4 (1997) 8 एस. सी. सी. 715

$ (2000) 6 एस. सी. सी. 224 पेरी कंसागरा बनाम।

श्रीमती मदन कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे.]

" 56. अतः, समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किसी गलती को सुधारने के लिए किया जा सकता है, लेकिन किसी दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं। ऐसी शक्तियों का प्रयोग क़ानून की सीमाओं के भीतर किया जा सकता है। शक्ति के प्रयोग से निपटना। समीक्षा को छद्म रूप में एक अपील के रूप में नहीं माना जा सकता है।

33. उच्च न्यायालय ने समीक्षा के अधिकार क्षेत्र पर सही ध्यान दिया था

न्यायालय, जो निम्नानुसार हैः

" इस विषय पर कानून-समीक्षा की शक्ति का प्रयोग, जैसा कि शीर्ष न्यायालय और विभिन्न अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

इसे संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

(i) समीक्षा कार्यवाही अपील के माध्यम से नहीं होती है और इसे आदेश 47 नियम 1 के दायरे और दायरे तक सख्ती से सीमित किया जाना चाहिए।

सीपीसी।

((ii) समीक्षा की शक्ति का प्रयोग तब किया जा सकता है जब अभिलेख के तथ्य पर कोई स्पष्ट गलती या त्रुटि पाई जाती है। लेकिन रिकॉर्ड के सामने त्रुटि एक ऐसी त्रुटि होनी चाहिए जो केवल रिकॉर्ड को देखने पर किसी को प्रभावित करे और उन बिंदुओं पर तर्क की किसी लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी जहां दो राय हो सकती हैं।

((ग) समीक्षा की शक्ति का प्रयोग इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि -

निर्णय गुण-दोष के आधार पर गलत था।

((iv) समीक्षा की शक्ति का उपयोग किसी भी पर्याप्त कारण के लिए किया जा सकता है जो तथ्य की गलत धारणा को शामिल करने के लिए पर्याप्त है।

या अदालत या यहां तक कि एक वकील द्वारा कानून।

(v) समीक्षा के लिए आवेदन की आवश्यकता हो सकती है -

एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट "सिद्धांत का आह्वान करते हुए।

हमारी राय में, इस मामले के तथ्यों में इसके द्वारा उल्लिखित कानून के सिद्धांतों को गलत तरीके से लागू किया गया है। ”

यह कुमार रथ 3 में देखा गया थाः

" 29. समीक्षा कार्यवाहियों में, न्यायाधिकरण ने ऊपर निर्धारित सिद्धांतों से विचलन किया, जो हमें कहना चाहिए, पूरी तरह से अनुचित है और एक निर्णय को फिर से लिखने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है जिसके द्वारा -

अंत में विवाद का फैसला हो गया। यह, हम [2019] 3 एस. सी. आर. तक सीमित हैं।

मान लीजिए, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 22 (3) (च) के तहत समीक्षा का दायरा नहीं है।

इसी तरह, पार्सिओन देवी में सिद्धांतों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हैः

रिकॉर्ड का चेहरा। एक त्रुटि जो स्वतः स्पष्ट नहीं है और जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, उसे शायद ही रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है जो अदालत को आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत अपनी समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए उचित ठहराती है। आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी गलत निर्णय की "पुनः सुनवाई" की अनुमति नहीं है और ठीक किया गया "। एक समीक्षा याचिका, यह याद रखना चाहिए कि इसका एक सीमित उद्देश्य है और इसे "भेष बदलकर अपील" करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

15. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी द्वारा निर्भरता रखी गई थी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और एक अन्य बनाम नेताजी क्रिकेट क्लब और अन्य में उस अभ्यास को समीक्षा में प्रस्तुत करने का निर्णय यदि तथ्य या कानून की गलत धारणा है तो उचित होगा। उक्त निर्णय का पैरा 90 निम्नलिखित प्रभाव से थाः

" 90. इस प्रकार, न्यायालय की ओर से एक गलती जिसमें उपक्रम की प्रकृति में एक गलती शामिल होगी, आदेश की समीक्षा के लिए भी आवश्यक हो सकती है। समीक्षा के लिए एक आवेदन भी होगा यदि इसके लिए पर्याप्त कारण मौजूद है तो बनाए रखा जा सकता है। पर्याप्त कारण क्या होगा, यह तथ्यों पर निर्भर करेगा और

मामले की परिस्थितियाँ। संहिता के आदेश 47 नियम 1 में "पर्याप्त कारण" शब्द एक गलत धारणा को शामिल करने के लिए पर्याप्त हैं।

न्यायालय या यहाँ तक कि एक अधिवक्ता द्वारा तथ्य या कानून। समीक्षा के लिए एक आवेदन "एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट" सिद्धांत को लागू करने के माध्यम से आवश्यक हो सकता है।

16. हमने तत्काल मामले में उच्च न्यायालय के दोनों फैसलों को देखा है और इस मुद्दे पर प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है। यह है। अच्छी तरह से तय किया गया कि एक त्रुटि जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाने की आवश्यकता होती है, शायद ही रिकॉर्ड के चेहरे पर एक स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है। समीक्षा अधिकारिता के प्रयोग को उचित ठहराने के लिए, त्रुटि स्वयं स्पष्ट होनी चाहिए। इस मापदंड पर परीक्षण किया गया, वर्तमान मामले में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग सही नहीं था। वर्तमान मामले में की गई कवायद, हमारे सुविचारित विचार में, ऐसा था जैसे उच्च न्यायालय में बैठा हो।

(2005) 4 एस. सी. सी. 741 पेरी कंसागरा बनाम।

श्रीमती मदन कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे.]

17.02.2017 दिनांकित पूर्व निर्णय पर अपील करें। यह मानते हुए भी कि पहले के फैसले में तथ्यों और कानून की कोई सही सराहना नहीं थी, पक्षों को अपील में फैसले को चुनौती देने के लिए छोड़ा जा सकता है। लेकिन समीक्षा एक उचित उपाय बिल्कुल नहीं था। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने समीक्षा याचिका पर विचार करने और 17.02.2017 दिनांकित पहले के दृष्टिकोण को दरकिनार करने में गलती की। इस प्रकार निष्कर्ष निकालने के बाद, तार्किक पाठ्यक्रम में परिस्थितियां अपील के तहत फैसले को दरकिनार करने और प्रतिवादी को दिनांकित 17.02.2017 के फैसले को चुनौती देने की अनुमति देने के लिए होंगी। लेकिन इस तरह के पाठ्यक्रम में आगे मुकदमेबाजी की आवश्यकता होगी और इसलिए, हमने दूसरे मुद्दे के दृष्टिकोण से भी मामले पर विचार किया है।

17. इसलिए, शुरुआत में, हमें उन विभिन्न प्रावधानों पर विचार करना चाहिए जिन पर दोनों पक्षों द्वारा निर्भरता रखी गई थी।

18. परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 (जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) को परिवार न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था। सुलह को बढ़ावा देने और विवाह और पारिवारिक मामलों और संबंधित मामलों से संबंधित विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का दृष्टिकोण

इसके साथ। धारा 4 "न्यायाधीशों की नियुक्ति" से संबंधित है और उप-धारा (4) में कहा गया है कि न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चयन करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा कि बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने और सुलह और परामर्श द्वारा विवादों के निपटारे को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध व्यक्तियों का चयन किया जाए। धारा 6 के तहत राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जा सकती है। धारा 7 "अधिकारिता" से संबंधित है और उप-धारा (1) के उपखंड (जी) के तहत अधिकारिता संरक्षकता के मुद्दों, या किसी नाबालिग की अभिरक्षा या पहुंच के संबंध में फैली हुई है। धारा 9 "समाधान के लिए प्रयास करने के लिए परिवार न्यायालय के कर्तव्य" से संबंधित है और उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, न्यायालय को अधिकार देता है -

ऐसी प्रक्रिया का पालन करें जो उचित समझी जाए। धारा 10 "आम तौर पर प्रक्रिया" से संबंधित है और अन्य बातों के साथ-साथ यह बताती है कि परिवार न्यायालय किसी समझौते पर पहुंचने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है। धारा 12 "चिकित्सा और कल्याण विशेषज्ञों की सहायता" से संबंधित है और धारा 20 अधिनियम को प्रबल प्रभाव देती है। धारा 21 उच्च न्यायालय को ऐसे नियम बनाने में सक्षम बनाती है जो अन्य बातों के साथ-साथ "किसी समझौते पर पहुंचने के लिए पक्षों की सहायता करने और उन्हें राजी करने के लिए एक परिवार न्यायालय द्वारा किए जा सकने वाले प्रयासों और प्रक्रिया का पालन करने" के लिए प्रावधान कर सकते हैं।

अधिनियम की धारा 6,9 और 12 की प्रासंगिक धाराएँ इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गतः

" 6. परामर्शदाता, अधिकारी और परिवार के अन्य कर्मचारी

अदालतें। – (1) राज्य सरकार के साथ परामर्श करेगी

उच्च न्यायालय, संख्या और श्रेणियों का निर्धारण करता है

परिवार न्यायालय अपने कार्यों के निर्वहन में और ऐसे सलाहकारों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के साथ पारिवारिक न्यायालय

जैसा कि यह उचित लग सकता है।

(2) परामर्शदाताओं के संगठन के नियम और शर्तें और

अधिकारियों और अन्य लोगों की सेवा के नियम और शर्तें

उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी ऐसे होंगे जो -

9. निपटान के लिए प्रयास करने का परिवार न्यायालय का कर्तव्य-(1) प्रत्येक वाद या कार्यवाही में, परिवार न्यायालय द्वारा पहली बार में, जहां मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुरूप ऐसा करना संभव है, सहायता करने का प्रयास किया जाएगा और

पक्षकारों को वाद या कार्यवाही के विषय के संबंध में एक समझौते पर पहुंचने के लिए राजी करना और इस उद्देश्य के लिए

परिवार न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन रहते हुए, ऐसी प्रक्रिया का पालन कर सकता है जो उसे उचित लगे। (2) यदि किसी मुकदमे या कार्यवाही में, किसी भी स्तर पर, परिवार न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि समझौते की उचित संभावना है

पक्षों के बीच, परिवार न्यायालय कार्यवाही को स्थगित कर सकता है ऐसी अवधि के लिए जो किए जाने वाले प्रयासों को सक्षम करने के लिए उचित समझे

इस तरह के समझौते को प्रभावित करें।

(3) उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति इसके अतिरिक्त होगी।

कार्यवाहियों को स्थगित करने के लिए परिवार न्यायालय की किसी अन्य शक्ति का अनादर करने के लिए नहीं।

12. चिकित्सा और कल्याण विशेषज्ञों की सहायता। - हर सूट में

या कार्यवाही, यह एक परिवार न्यायालय के लिए एक चिकित्सा विशेषज्ञ या ऐसे व्यक्ति (अधिमानतः एक महिला जहां उपलब्ध हो) की सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए खुला होगा, चाहे वह पक्षों से संबंधित हो या नहीं, जिसमें एक व्यक्ति भी शामिल है जो पेशेवर रूप से परिवार के कल्याण को बढ़ावा देने में लगा हुआ है।

परिवार, जिसे न्यायालय उचित समझे, इस अधिनियम द्वारा लगाए गए कार्यों के निर्वहन में परिवार न्यायालय की सहायता करने के उद्देश्यों के लिए।

19. नियम बनाने की शक्ति के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने परिवार न्यायालय (प्रक्रिया) नियम, 1992 (इसके बाद पेरी कंसागरा बनाम संदर्भित) का संपादन किया।

श्रीमती मदन कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे.]

नियम)। नियम 5 कार्यवाही के संस्थान से संबंधित है जबकि नियम एक समझौते पर पहुंचने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। नियम 8

निम्नलिखित प्रभाव।

" 8. किसी समझौते पर पहुंचने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (i) प्रत्येक मामले में वाद या कार्यवाही न्यायाधीश, किसी भी स्तर पर, सुलह को बढ़ावा देने की दृष्टि से पक्षकारों को परामर्शदाता के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है और -

((ii) पक्षकार न्यायाधीश द्वारा निर्धारित तिथि और समय पर परामर्शदाता के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे। (iii) परामर्शदाता पक्षकारों या उनमें से किसी एक को आगे की परामर्श के लिए निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होने की आवश्यकता हो सकती है। यदि कोई भी पक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परामर्शदाता न्यायाधीश को मामले की रिपोर्ट कर सकता है और न्यायाधीश मामले की परिस्थितियों के अनुसार लागत प्रदान करने सहित ऐसे आदेश पारित करेगा। फिर भी न्यायाधीश काउंसलर को एक प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है

रिपोर्ट करें। ((iv) परामर्शदाता अपने कर्तव्यों के निर्वहन में निम्नलिखित कार्य कर सकता हैः

(क) दोनों या किसी भी पक्ष के घरों में जाएँ।

(ख) साक्षात्कार, रिश्तेदारों, दोस्तों और पार्टियों या उनमें से किसी के परिचित।

(ग) किसी भी पक्ष के नियोक्ता से ऐसी जानकारी प्राप्त करें, जो आवश्यक समझी जाए।

v) न्यायाधीश की पूर्व अनुमति से परामर्शदाता निम्नलिखित कार्य कर सकता हैः

ए) पक्षों को अन्य क्षेत्रों में एक विशेषज्ञ के पास भेजें, जैसे कि दवा

या मनोचिकित्सा।

ख) अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित किसी भी संस्था, संगठन या व्यक्ति की सहायता लें।

vi) परामर्शदाता प्रत्येक मामले के संबंध में एक डायरी बनाए रखेगा।

उठाए गए कदमों को संक्षेप में बताएँ। vii) परामर्शदाता द्वारा एकत्र की गई जानकारी, कोई भी बयान

परामर्शदाता या उसके द्वारा तैयार किए गए किसी भी नोट या रिपोर्ट के समक्ष परामर्शदाता को गोपनीय माना जाएगा। काउंसलर को ऐसी जानकारी, बयानों, टिप्पणियों का खुलासा करने या किसी भी अदालत को रिपोर्ट करने के लिए दोनों पक्षों की सहमति के अलावा नहीं कहा जाएगा।

viii) परामर्शदाता को ऐसे सूचना विवरणों या टिप्पणियों के संबंध में किसी भी अदालत में साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जाएगा।

परन्तु बशर्ते कि विवाह के किसी भी बच्चे या बच्चे की अभिरक्षा या संरक्षकता के प्रश्न पर निर्णय लेने में न्यायाधीश की सहायता करने के लिए परामर्शदाता संबंधित पक्षों के घरेलू वातावरण, उनके व्यक्तित्व और उनके बच्चे और/या बच्चों के साथ उनके संबंधों से संबंधित एक रिपोर्ट न्यायाधीश को प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि परामर्शदाता न्यायाधीश को घर के वातावरण, आय या मानक से संबंधित एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा।

पक्षकारों में से किसी एक को दिए जाने वाले भरण-पोषण और/या गुजारा भत्ता की राशि निर्धारित करने में न्यायाधीश की सहायता करने के लिए संबंधित पक्षकार या पक्षकारों का अस्तित्व।

ix) न्यायाधीश काउंसलर से किसी अन्य मामले पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध भी कर सकता है, जिसे न्यायाधीश आवश्यक समझता है।

x) पक्षकारों द्वारा किए जा रहे ऐसे अनुरोध पर किसी भी रिपोर्ट की एक प्रति पक्षकारों को प्रदान की जा सकती है। xi) पक्षकारों को इस पर अपनी दलीलें देने का अधिकार होगा

रिपोर्ट करें। xii) काउंसलर को उसके द्वारा दी गई किसी भी रिपोर्ट के संबंध में किसी भी अदालत में साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जाएगा।

xiii) उपरोक्त को छोड़कर, परामर्शदाता न्यायाधीश को एक संक्षिप्त ज्ञापन प्रस्तुत करेगा जो न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर कार्यवाही के परिणाम के बारे में न्यायाधीश को सूचित करेगा।

xiv) जब पक्षकार विवाद या उसके किसी भाग से संबंधित परामर्शदाता के समक्ष किसी समझौते पर पहुँचते हैं, तो ऐसा समझौता होगा -

इसे घटाकर लिखित कर दिया जाएगा और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और परामर्शदाता द्वारा जवाबी हस्ताक्षर किए जाएंगे। न्यायाधीश उसके संदर्भ में एक डिक्री या आदेश सुनाएगा जब तक कि न्यायाधीश समझौते की शर्तों को अनुचित या गैरकानूनी नहीं समझता है।

xv) सुलह की कार्यवाही के दौरान पक्षों के बीच सहवास को समझौते का अनुमोदन नहीं माना जाएगा।

वैवाहिक अपराध।

xvi) डिक्री या आदेश पारित करने के बाद भी न्यायाधीश पेरी कंसागरा v में बच्चों की नियुक्ति की निगरानी के लिए परामर्शदाता की आवश्यकता होती है।

श्रीमती मदन कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे.]

पार्टी की अभिरक्षा और उस घर का औचक दौरा करना जहाँ

बच्चा रहता है। यदि किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है व्यवस्था करते हुए परामर्शदाता न्यायाधीश को एक रिपोर्ट देगा। न्यायाधीश पक्षकारों को नोटिस देने के बाद न्यायाधीश के रूप में ऐसे आदेश पारित कर सकता है।

उचित लग सकता है।

ऐसी आगे की अवधि के लिए मामला जो अदालत आदेश दे। xviii) काउंसलर से प्राप्त अनुरोध पर न्यायाधीश किसी भी व्यक्ति को काउंसलर के सामने उपस्थित होने के लिए प्रक्रिया जारी कर सकता है।

ऐसा स्थान, तिथि और समय जो परामर्शदाता द्वारा वांछित हो।

20. चूंकि विभिन्न अन्य वैधानिक पर निर्भरता रखी गई है

मध्यस्थता में गोपनीयता के मुद्दे को घर लाने के लिए सायन

अर्थात्, उनमें से कुछ प्रावधान भी यहाँ निकाले गए हैं:

ए] मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 75 और 81,

1996 निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है:

" 75. गोपनीयता-उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सुलहकर्ता और

पक्षकार सुलह प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों को गोपनीय रखेंगे। गोपनीयता का विस्तार निपटान समझौते पर भी होगा, सिवाय इसके कि कार्यान्वयन और प्रवर्तन के उद्देश्यों के लिए इसका खुलासा करना आवश्यक है।

81. अन्य कार्यवाही में साक्ष्य की स्वीकार्यता।

पक्षकार मध्यस्थता या न्यायिक कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में भरोसा नहीं करेंगे या पेश नहीं करेंगे, चाहे ऐसी कार्यवाहियां उस विवाद से संबंधित हों या नहीं जो सुलह कार्यवाहियों का विषय है। (क) विवाद के संभावित समाधान के संबंध में दूसरे पक्ष द्वारा व्यक्त किए गए विचार या सुझाव;

(ख) पाठ्यक्रम के दौरान दूसरे पक्ष द्वारा किए गए प्रवेश

सुलह की कार्यवाही; (ग) सुलहकर्ता द्वारा किए गए प्रस्ताव;

(घ) यह तथ्य कि दूसरे पक्ष ने सुलहकर्ता द्वारा किए गए समझौते के प्रस्ताव को स्वीकार करने की अपनी इच्छा का संकेत दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता और सुलह (समाधान) की धारा 20 निम्नलिखित प्रभाव से प्रभावी हैःनियम 20: गोपनीयता, प्रकटीकरण और अस्वीकार्यता

जानकारी दी।

) जब कोई मध्यस्थ/सुलहकर्ता किसी भी पक्ष से विवाद (ओं) के बारे में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करता है, तो वह उस जानकारी के सार को दूसरे पक्ष को प्रकट करेगा, ताकि

दूसरे पक्ष को ऐसा प्रस्तुत करने का अवसर मिल सकता है

स्पष्टीकरण जो उचित लगे। बशर्ते कि, जब कोई पक्ष जानकारी देता है

मध्यस्थ/सुलहकर्ता एक विशिष्ट शर्त के अधीन है कि इसे गोपनीय रखा जाए, मध्यस्थ/सुलहकर्ता नहीं करेगा

उस जानकारी को दूसरे पक्ष को बताएँ।

) मध्यस्थ/सुलहकर्ता द्वारा सेवा करते समय रसीद या अवलोकन, या अभिलेख, रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज तैयार करना।

उस क्षमता में गोपनीय होगा और मध्यस्थ सुलहकर्ता को जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा

उन दस्तावेजों के संबंध में और न ही किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के समक्ष मध्यस्थ/सुलहकर्ता के दौरान क्या हुआ।

) पक्ष मध्यस्थता/सुलह के दौरान हुई घटनाओं के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेंगे और

उक्त जानकारी पर भरोसा न करें या अन्य में पेश न करें

इस संबंध में कार्यवाहीः

(i) मध्यस्थता के दौरान किसी पक्ष द्वारा व्यक्त किए गए विचार

सुलह की कार्यवाही;

((ii) मध्यस्थता/सुलह के दौरान प्राप्त दस्तावेज।

जिन्हें स्पष्ट रूप से माना जाना आवश्यक था

गोपनीय या अन्य नोट्स, ड्राफ्ट या दी गई जानकारी

पक्षों या मध्यस्थ/सुलहकर्ता द्वारा;

((ग) मध्यस्थ द्वारा किए गए प्रस्ताव या व्यक्त किए गए विचार।

सुलहकर्ता।

((iv) मध्यस्थता के दौरान किसी पक्ष द्वारा किया गया प्रवेश

सुलह की कार्यवाही;

(v) यह तथ्य कि किसी पक्ष ने इच्छा व्यक्त की थी या नहीं की थी

किसी प्रस्ताव को स्वीकार करना।

घ) मध्यस्थता की कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी।

सुलह की कार्यवाही।

ङ) पक्षकारों या गवाहों का कोई बयान दर्ज नहीं किया जाएगा।

मध्यस्थ/सुलहकर्ता द्वारा "।

| मध्यस्थता विज्ञापन सुलह केंद्र (समाधान) द्वारा प्रत्येक पक्ष को आवेदन पत्र का जिस प्रारूप को भरने की आवश्यकता है, वह निम्नलिखित प्रभाव डालता हैः

" मैं मध्यस्थ द्वारा निर्धारित समय और स्थान पर सभी मध्यस्थता सत्रों में भाग लेने के लिए सहमत हूं। कोई भी पक्ष मध्यस्थता से पीछे हट सकता है यदि वे यह पता लगाने का विकल्प चुनते हैं कि यह उनकी या उनके मामले की मदद नहीं कर रहा है। प्रत्येक पक्ष अपने स्वयं के वकील की फीस वहन करेगा। प्रत्येक पक्ष मध्यस्थ की फीस की लागत को भी समान रूप से साझा करेगा, जब तक कि अदालत अन्यथा निर्देश न दे।

मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया गोपनीय होगी और

मध्यस्थ को जो कुछ भी प्रस्तुत किया जाएगा, उसका खुलासा या खुलासा नहीं किया जाएगा।

किसी भी न्यायालय की कार्यवाही में प्रस्तुत किया जाए या स्वीकार्य हो। मध्यस्थ को किसी भी मामले में गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

कानून की अदालत। मध्यस्थता प्रक्रिया स्वैच्छिक है और दोनों पक्षों पर तब तक बाध्यकारी नहीं है जब तक कि वे अपनी इच्छा से किसी समझौते पर नहीं पहुंच जाते।

और उसी पर हस्ताक्षर करें।

] प्रतिवादी द्वारा कुछ अन्य प्रावधानों पर भरोसा किया गया हैः

" i) UNICITRAL सुलह नियमों में अनुच्छेद 14 शामिल है, जो संबंधित सभी मामलों की गोपनीयता प्रदान करता है

सुलह।

ii) समान मध्यस्थता अधिनियम, यू. एस. ए., 2003 की वह धारा, इस अवधि के दौरान आदान-प्रदान किए गए संचार और सूचना के प्रकटीकरण, स्वीकार्यता और खोज के खिलाफ विशेषाधिकार प्रदान करती है।

मध्यस्थता प्रक्रिया।

iii) होंक कांग अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नियमों का वह नियम मध्यस्थता को एक निजी और गोपनीय होने के लिए अनिवार्य करता है।

प्रक्रिया।

(iv) परिवार मध्यस्थता परिषद, इंग्लैंड और वेल्स द्वारा पैराग्राफ 5.5 में अनुसरण की जाने वाली परिवार मध्यस्थता की आचार संहिता में यह प्रावधान है कि मध्यस्थ को किसी भी जानकारी [2019] 3 एस. सी. आर. का खुलासा नहीं करना चाहिए।

ऐसा करने के लिए। v) सिंगापुर के पारिवारिक न्याय न्यायालयों ने यह भी आदेश दिया है कि पारिवारिक विवाद के दौरान चर्चा की गई सभी जानकारी और मामले

समाधान सम्मेलन, परामर्श, मध्यस्थता या सह-मध्यस्थता गोपनीय होनी चाहिए।

vi) सदस्यों की पारिवारिक व्यावसायिक आचरण संहिता

अनुच्छेद 7 में मध्यस्थता कनाडा के सिद्धांत का विस्तार करता है

विशेष रूप से मध्यस्थता के लिए या उसके परिणामस्वरूप तैयार किए गए दस्तावेजों की गोपनीयता।

vii) कैलिफोर्निया न्यायालय के नियम, 2017 में बच्चे से संबंधित मध्यस्थता में गोपनीयता बनाए रखने का भी प्रावधान है।

हिरासत के मामले "।

21. एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एक अन्य बनाम चेरियन में

आई कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य 'जबकि

धारा 89 सिविल के दायरे और चौड़ाई से संबंधित मुद्दों के साथ

ड्यूअर कोड और वैकल्पिक विवाद समाधान के तौर-तरीके

इसमें, इस न्यायालय ने संबंध में विभिन्न प्रकार के विवादों को नोट किया

वैकल्पिक विवाद समाधान की प्रक्रिया आम तौर पर उपयुक्त रही है। निर्णय का पैरा 28 इस प्रकार थाः

" 28. सिविल प्रकृति के अन्य सभी मुकदमे और मामले, विशेष रूप से निम्नलिखित श्रेणियों के मामले (चाहे वे दीवानी अदालतों या अन्य विशेष न्यायाधिकरणों/मंचों में लंबित हों) आमतौर पर एडीआर के लिए उपयुक्त होते हैं।

प्रक्रियाएँः (i) व्यापार, वाणिज्य और अनुबंधों से संबंधित सभी मामले, जिनमें शामिल हैं

अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले विवाद (सभी धन दावों सहित);

विशिष्ट निष्पादन से संबंधित विवाद;

आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के बीच विवाद;

बैंकरों और ग्राहकों के बीच विवाद;

- विकासकर्ताओं/बिल्डरों और ग्राहकों के बीच विवाद;

) 8 एस. सी. सी. 24 पेरी कंसागरा बनाम। श्रीमती मदन कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे.]

• मकान मालिकों और किरायेदारों/लाइसेंसधारकों और लाइसेंसधारियों के बीच विवाद;

बीमाकर्ता और बीमाकृत के बीच विवाद;

((ii) तनावपूर्ण या खट्टे संबंधों से उत्पन्न होने वाले सभी मामले,

सहित

वैवाहिक कारणों, रखरखाव, अभिरक्षा से संबंधित विवाद

बच्चों का;

परिवार के सदस्यों के बीच विभाजन से संबंधित विवाद /

सह-भागीदार/सह-मालिक; और

भागीदारों के बीच साझेदारी से संबंधित विवाद।

(iii) ऐसे सभी मामले जहां विवादों के बावजूद पूर्व-विद्यमान संबंध को जारी रखने की आवश्यकता है, जिनमें शामिल हैं -

पड़ोसियों के बीच विवाद (आसान अधिकारों से संबंधित,

अतिक्रमण, उपद्रव, आदि);

नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच विवाद;

समितियों/संघों/आवासों के सदस्यों के बीच विवाद

मालिकों के संघ;

((iv) यातनापूर्ण दायित्व से संबंधित सभी मामले, जिनमें शामिल हैं -

• मोटर दुर्घटनाओं/अन्य दुर्घटनाओं में मुआवजे के लिए दावे; और

(v) सभी उपभोक्ता विवाद, जिनमें शामिल हैं

विश्वसनीयता या उत्पाद की लोकप्रियता। "उपयुक्त" और "अनुपयुक्त" की उपरोक्त गणना

मामलों के वर्गीकरण का उद्देश्य संपूर्ण या कठोर होना नहीं है। वे उदाहरणात्मक हैं, जिन्हें न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र/विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए केवल अपवाद या परिवर्धन के अधीन किया जा सकता है।

किसी विवाद/मामले को ए. डी. आर. प्रक्रिया के लिए संदर्भित करने में।

22. मोती राम (मृत) में एलआरएस के माध्यम से। और एक अन्य बनाम अशोक आर और एक अन्य यह माना गया कि मध्यस्थता की कार्यवाही पूरी तरह से है

संभावित और यदि मध्यस्थता असफल होती है, तो मध्यस्थ को ऐसी कोई भी बात लिखनी चाहिए जिस पर मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान चर्चा, प्रस्ताव या किया गया था। इस संबंध में टिप्पणियां इस प्रकार थीं:

" 2. इस संबंध में, हम यह बताना चाहेंगे कि मध्यस्थता की कार्यवाही पूरी तरह से गोपनीय कार्यवाही है। यह इसके विपरीत है

अदालत में कार्यवाही जो जनता की नज़रों में खुले तौर पर की जाती है। यदि मध्यस्थता सफल हो जाती है, तो मध्यस्थ को दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते को अदालत में बिना हस्ताक्षर किए भेजना चाहिए।

यह उल्लेख करते हुए कि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान क्या हुआ। यदि मध्यस्थता असफल होती है, तो मध्यस्थ को अपनी रिपोर्ट में केवल एक वाक्य लिखना चाहिए और यह कहते हुए अदालत को भेजना चाहिए कि "मध्यस्थता असफल रही है"। इसके अलावा, मध्यस्थ को ऐसा कुछ भी नहीं लिखना चाहिए जिस पर मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान चर्चा की गई हो, प्रस्ताव दिया गया हो या किया गया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्यस्थता में, बहुत बार, प्रस्ताव, जवाबी प्रस्ताव और प्रस्ताव पक्षों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जब तक और जब तक पक्ष उनके द्वारा हस्ताक्षरित समझौते पर नहीं पहुंचते, यह किसी भी निष्कर्षित अनुबंध के बराबर नहीं होगा। यदि मध्यस्थता कार्यवाही में होने वाली घटनाओं का खुलासा किया जाता है, तो यह होगा

मध्यस्थता प्रक्रिया की गोपनीयता को नष्ट करना।

इसी तरह, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत उत्पन्न होने वाले मामले पर विचार करते समय, इस न्यायालय द्वारा गोविंद प्रसाद मामले में यह निर्णय दिया गया था

शर्मा और अन्य बनाम दून वैली ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड 'कि "सुलहकर्ता और पक्ष दोनों को सुलह की कार्यवाही से संबंधित सभी मामलों को गोपनीय रखना चाहिए"। 23. प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त निर्णयों और प्रक्रियात्मक सहित कुछ वैधानिक प्रावधानों पर भरोसा रखा गया था।

विभिन्न क्षेत्राधिकारों में यह प्रस्तुत करने के लिए मानदंड कि इस अवधि के दौरान दिए गए किसी भी बयान के संबंध में पूर्ण गोपनीयता होनी चाहिए मध्यस्थता। हालाँकि, अपीलार्थी इस निवेदन के समर्थन में नियमों के नियम 8 के उप-नियम (viii) पर निर्भर करता है कि किसी भी बच्चे या बच्चे की अभिरक्षा या संरक्षकता के मामलों के संबंध में, काउंसलर को न्यायाधीश को घर से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।

संबंधित पक्षों का वातावरण, उनके व्यक्तित्व और बच्चे और या बच्चों के साथ उनके संबंध ताकि मामले में शामिल प्रश्नों को तय करने में न्यायाधीश की सहायता की जा सके। 24. इस प्रकार, हमारे पास मध्यस्थता/सुलह और सामान्य रूप से अन्य कार्यवाहियों से संबंधित मामलों की श्रृंखला है और नियमों का नियम 8 अंतर-संबंधित मामलों से संबंधित है।

अन्य रूप से, हिरासत के मुद्दों के साथ जो गोपनीयता के मानदंडों के अपवाद की प्रकृति में है। यह सच है कि मध्यस्थता की प्रक्रिया गोपनीयता के तत्व पर आधारित है। गुणात्मक रूप से, मध्यस्थता या सुलह '

श्रीमती मदन कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे.]

नियमित न्यायिक प्रक्रियाओं के विपरीत यह पूरी तरह से अलग आधार पर खड़ा है। न्यायनिर्णायक कार्यवाहियों में प्रतिकूल रुख के बजाय, मध्यस्थता का विचार विवाद को एक ऐसे स्तर पर हल करना है जो प्रतिकूल होने के बजाय सौहार्दपूर्ण हो। इस प्रक्रिया में, पक्षकार ऐसे बयान दे सकते हैं जो वे अन्यथा तब नहीं देते जब मामला अदालत के समक्ष निर्णय के लिए लंबित था। ऐसे बयान जो अनिवार्य रूप से यह देखने के लिए दिए जाते हैं कि क्या कोई समझौता हो सकता है, ऐसे बयान देने वाले के खिलाफ उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, अगर बाद में मध्यस्थता के प्रयास पूरी तरह से विफल हो जाते हैं। यदि कथनों को बाद के चरणों में उपयोग करने की अनुमति दी जाती है, तो विश्वास का तत्व जो है स्वस्थ मध्यस्थता/सुलह के लिए आवश्यक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। गोपनीयता का तत्व और यह आश्वासन कि बयानों पर भरोसा नहीं किया जाएगा, पक्षों को छल को दफनाने और विवादों के समाधान की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। इस प्रकार गोपनीयता महत्वपूर्ण है।

मध्यस्थता/सुलह का तत्व। 25. गोपनीयता का पूर्ण पालन सामान्य मामलों में बिल्कुल सही होगा जहां अदालत की भूमिका विशुद्ध रूप से एक न्यायनिर्णायक की होती है। लेकिन इस तरह का दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से अनुकूल नहीं हो सकता है जब अदालत को बुलाया जाता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह माता-पिता के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करे और किसी व्यक्ति के कल्याण से संबंधित हो।

बच्चा। सभी अभिरक्षा और संरक्षकता के मुद्दों को "बच्चे के सर्वोत्तम हित" के कसौटी या मापदंड पर हल किया जाता है। दो पक्षों के बीच हिरासत और संरक्षकता विवादों में, एक नाबालिग बच्चा एक अजीब स्थिति में है। कभी-कभी, दोनों पक्ष कानूनी लड़ाई लड़ने में व्यस्त होते हैं और अदालत को यह तय करने के लिए कहा जाता है कि बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या है।

सही निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए, अदालत बच्चे का साक्षात्कार ले सकती है या किसी विशेषज्ञ के विश्लेषण पर निर्भर हो सकती है जो बच्चे के साथ कुछ और समय बिता सकता है और बच्चे के पालन-पोषण, व्यक्तित्व, इच्छाओं या मानसिक ढांचे का आकलन कर सकता है और अदालत को सहायता प्रदान कर सकता है। यही कारण है कि गोपनीयता का तत्व जो अन्यथा मध्यस्थता/सुलह का मूल आधार है, कुछ हद तक नियमों के नियम 8 के उप-नियम (viii) से अलग है।

26. यदि काउंसलर की रिपोर्ट संबंधित पक्षों के घरेलू वातावरण को छूती है, तो उनके व्यक्तित्व और उनके

उनके बच्चे या बच्चों के साथ संबंध अदालत की सहायता करेंगे

अभिरक्षा या संरक्षकता के मुद्दों को निर्धारित करते हुए, किसी भी तकनीकीता को रास्ते में नहीं खड़ा होना चाहिए। नियम 8 का उप-नियम (viii) उस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है और ऐसी सामग्री को [2019] 3 एस. सी. आर. के मूल्यांकन के लिए उपलब्ध कराता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालत। आशीष रंजन बनाम अनुपमा मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियां।

टंडन और एक अन्य ने अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को स्पष्ट कर दिया है।

हिरासत या संरक्षकता के मुद्दों से संबंधित मामले। के पारस 18 और 19 निर्णय इस प्रकार हैः

" 18. यह तय कानूनी प्रस्ताव है कि निर्धारित करते समय

यह प्रश्न कि किस माता-पिता को बच्चे की देखभाल और नियंत्रण दिया जाना चाहिए, सर्वोपरि विचार बच्चे के कल्याण और हित पर रहता है न कि क़ानून के तहत माता-पिता के अधिकारों पर। इस तरह के मुद्दे को प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में निर्धारित करने की आवश्यकता है और प्रत्येक मामले का निर्णय अपने स्वयं के तथ्यों पर किया जाना चाहिए क्योंकि जहां तक मामले के तथ्यात्मक पहलुओं का संबंध है, टकटकी निर्णय के सिद्धांत का अनुप्रयोग अप्रासंगिक है। बच्चे के कल्याण पर विचार करते समय, "बच्चे के नैतिक और नैतिक कल्याण का महत्व अदालत के साथ-साथ उसके शारीरिक कल्याण पर भी होना चाहिए।" बच्चे को संपत्ति या वस्तु के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसलिए, इस तरह के मुद्दों को अदालत द्वारा सावधानी और सावधानी के साथ, प्यार, स्नेह और भावनाओं के साथ समस्या पर मानवीय स्पर्श को लागू करते हुए संभाला जाना चाहिए। हालाँकि, माता-पिता या अभिभावकों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले विशेष कानूनों के प्रावधानों को ध्यान में रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो अदालत के अपने माता-पिता के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के रास्ते में खड़ा हो सकता है।

मामले। (गौरव नागपाल बनाम। सुमेधा नागपाल ")।

19. बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित वैधानिक प्रावधान

किसी भी व्यक्तिगत कानून के तहत इसका स्थान नहीं ले सकता है और न ही लेना चाहिए

कल्याण के लिए क्या अनुकूल है, इस पर सर्वोपरि विचार

नाबालिग का। वास्तव में, इस विषय पर कोई भी कानून नाबालिग के कल्याण के महत्वपूर्ण कारक को नजरअंदाज, टाल या मिटा नहीं सकता है। (वीडियो

एलिजाबेथ दिनशॉ बनाम। अरविंद एम. दिनशॉ 1 2, चंद्रकला

मेनन बनाम। विपिन मेनन 1, नील रतन कुंडू बनाम। अभिजीत कुंडू 1 4, शिल्पा अग्रवाल बनाम। अविरल मित्तल और अतहर हुसैन बनाम। सैयद सिराज अहमद 1 6.) "

10 (2010) 14 एस. सी. सी. 274

1 1 (2009) 1 एससीसी 42: (2009) 1 एस. सी. सी. (सी. वी.) 1: ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 557 1 2 (1987) 1 एस. सी. सी. 42: 1987 एससीसी (सीआरआई) 13: आकाशवाणी 1987 एस. सी. 313 (1993) 2 एससीसी 6: 1993 एससीसी (सीआरआई) 485

1 4 (2008) 9 एस. सी. सी 413

1 5 (2010) 1 एस. सी. सी 591: (2010) 1 एस. सी. सी. (सिविल) 192 16 (2010) 2 एस. सी. सी. 654: (2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 528 पेरी कंसागरा बनाम।

श्रीमती मदन कंसागरा [उदय उमेश ललित, जे.]

27. मध्यस्थता के दौरान माता-पिता द्वारा दिए गए बयान

गोपनीयता के आधार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है लेकिन नाबालिग द्वारा काउंसलर को दी गई स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं और बयान

निश्चित रूप से यह तय करने का मौका दें कि बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या है। एक बच्चा काउंसलर के साथ अपनी बातचीत में स्वाभाविक रूप से और अनायास प्रतिक्रिया दे सकता है, जो बच्चे को सहज महसूस कराने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित है। इस तरह की बातचीत का रिकॉर्ड माता-पिता के अधिकार क्षेत्र में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में न्यायालय को मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकता है। यदि इस तरह की बातचीत के दौरान किसी बच्चे के कल्याण से संबंधित मुद्दों या पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि न्यायालय को ऐसे पहलुओं तक पहुंच से वंचित किया जाए। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में अभिनिर्धारित किया गया है,

सर्वोपरि

इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या है।

28. नियम 8 के उप नियम (viii) के संदर्भ में, काउंसलर बाध्य है।

गोपनीयता का सामान्य सिद्धांत अभिरक्षा या संरक्षकता के मुद्दों से संबंधित मामलों में लागू नहीं होगा और न्यायालय, के सर्वोत्तम हित में बच्चा, पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए प्रासंगिक मुद्दों पर सभी सामग्री से लैस होना चाहिए। गोपनीय रूप से यह विचलन सामान्य रूप से अधिनियम के रेखांकित विषय और विशेष रूप से धारा 12 के अनुरूप है। एक बार जब उसमें बताई गई श्रेणियों के पक्ष में स्पष्ट अपवाद हो जाता है, तो गोपनीयता के संबंध में मध्यस्थता/सुलह या वैकल्पिक विवाद समाधान के किसी भी अन्य रूप में सिद्धांत।

आयात नहीं किया जा सकता है। इस तरह के अपवाद के प्रभाव को कम या शून्य नहीं किया जा सकता है। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 07.02.2017 के फैसले के पैराग्राफ 17 से 20 में मामले पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया।

29. हालाँकि, एक पहलू है जिस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

और वह यह है कि नियम 8 के अर्थ के भीतर "काउंसलर" कौन है और क्या वर्तमान मामले में अदालत की सहायता करने वाला काउंसलर उक्त प्रावधान के चार कोनों के भीतर आता है। यह सच है कि धारा 6 के तहत परामर्शदाताओं की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। यह भी सच है कि वर्तमान मामले में काउंसलर वह नहीं था जिसे धारा 6 के संदर्भ में नियुक्त किया गया था, बल्कि उसे उच्च न्यायालय की एक समिति द्वारा नियुक्त किया गया था और कई मामलों के संबंध में उसकी सहायता का अनुरोध किया गया था। 06.05.2016 पर पारित आदेश ने संकेत दिया था कि मध्यस्थ किसी भी [2019] 3 एस. सी. आर. में शामिल हो सकता है।

अन्य व्यक्ति "जिसे एक समग्र और प्रभावी मध्यस्थता के लिए आवश्यक माना जा सकता है। 11.05.2016 के अगले आदेश में काउंसलर के नाम और इस तथ्य का उल्लेख किया गया था कि काउंसलर की आदित्य के साथ एक उपयोगी बैठक हुई थी। इसके बाद काउंसलर ने 08.07.2016 और 11.07.2016 पर उनके साथ बातचीत की, जिसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई।

21.07.2016 पर जमा करें। इस प्रकार काउंसलर की नियुक्ति पक्षों की पूरी जानकारी के साथ-साथ उच्च न्यायालय की स्पष्ट स्वीकृति के साथ थी। ऐसा हो सकता है कि उक्त काउंसलर को अधिनियम की धारा 6 के तहत नियुक्त नहीं किया गया था, लेकिन यदि सर्वोपरि विचार बच्चे का कल्याण है, तो तकनीकीता पर अनुचित निर्भरता नहीं हो सकती है। वास्तव में, अधिनियम की धारा 12 की चौड़ाई इस तरह के किसी भी प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए, वर्तमान मामले में काउंसलर द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि काउंसलर के खिलाफ बिल्कुल कुछ भी नहीं था और अपील के तहत दिए गए फैसले में, उच्च न्यायालय ने पैरा No.30 में कहा कि काउंसलर अच्छी तरह से अनुभवी थी और एक समझौता करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के लिए जानी जाती थी जो सभी के लिए संतोषजनक होगी।

30. इसलिए, हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि वर्तमान मामले में रिपोर्ट को विचार से बाहर क्यों रखा जाए।

31. इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 11.12.2017 के फैसले को दरकिनार करते हैं और पहले के फैसले को बहाल करते हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17.02.2017। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन